विधान परिषद के प्रथम सत्र–2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>17 (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वित्त विहीन विद्यालयों को कक्षा 1 में 25 परसेंट बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना होता है एवं इन बच्चों के 11 महीने की फीस का भुगतान सरकार के द्वारा विद्यालय को किया जाता है?</td><td>जी हॉ।</td></tr>
<tr><td>(ख) वर्ष 2019 एवं 2020, 2021, 2022 में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फीस का भुगतान नहीं किया गया है?</td><td>शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालयों का विवरण जिनके फीस का भुगतान नहीं किया गया है –
<table><tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>विद्यालयों की संख्या</th></tr><tr><td>2019–20</td><td>2604</td></tr><tr><td>2020–21</td><td>6943</td></tr><tr><td>2021–22</td><td>7714</td></tr><tr><td>2022–23</td><td>8799</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(ग) उक्त विलम्ब किन कर्मचारियों के कारण हुआ है?</td><td>बजट उपलब्ध न होने के कारण भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका।</td></tr>
<tr><td>(घ) जनपद आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, फरूर्खाबाद, औरैया, कन्नौज, मथुरा, के जिन विद्यालयों का भुगतान नहीं हुआ है, उन विद्यालयों के नाम छात्रों का विवरण एवं बकाया फीस का विवरण क्या है?</td><td>सूचना संकलित की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>(ड.) यदि अधिकारियों के कारण विलंब हुआ है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है?</td><td>प्रश्न ही नहीं उठता।</td></tr>
<tr><td>(च) यदि हॉ, तो क्यो?</td><td>प्रश्न ही नहीं उठता।</td></tr>
<tr><td>(छ) यदि नहीं, तो क्यों?</td><td>प्रश्न ही नहीं उठता।</td></tr>
</table>

(संदीप सिंह)
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
बेसिक शिक्षा।